न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2066/2022
कम्प्यूटर नम्बर : 2455/2022
बलवंत सिंह बनाम उत्तराखण्ड सरकार,

मु0अ0सं0: 233/2022
धाराः 60(2) आबकारी अधिनियम व
272, 273 भा0 दं0 सं0
थानाः खानपुर, जिला हरिद्वार।

अभियुक्त अधिवक्ता : एम0 उस्मान आरिफ।
अभियोजन अधिवक्ताः श्री इन्द्रपाल बेदी,
जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी)

दिनांकः 14–10–2022

यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बलवंत सिंह पुत्र सुक्खा सिंह निवासी ग्राम आलमपुर, थाना खानपुर जिला हरिद्वार की ओर से मुकदमा अपराध सं0 233/2022, अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भा0 दं0 सं0, थाना खानपुर, जिला हरिद्वार के मामले में जमानत पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 12–09–2022 को उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान मय पुलिस कर्मचारीगण को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम आलमपुर में रजवंत व बलवंत अपने घर के पीछे गन्ने के खेत में भट्टी लगाकर कच्ची शराब की कसीदगी कर रहे है। मुखबिर की इस सूचना पर उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान मय पुलिस बल द्वारा दबिश देकर रजवंत व बलवंत को मौके पर ही कच्ची शराब की भट्टी के उपर ड्रम रखकर कच्ची शराब निकालते हुये पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब व कच्ची शराब निकालने के उपकरण व बरामद किये गये तथा पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा कच्ची शराब की तीव्रता बढ़ाने हेतु यूरिया मिलाकर कच्ची शराब में अपमिश्रित किये जाने का अभियोग है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क कथन प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर आधारित है। कथित शराब में यूरिया मिले होने की कोई एफ0एस0एल0 रिपोर्ट आज दिनांक तक नहीं है। अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है। अभियुक्त से दर्शाय गई बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त लगभग 84 वर्षीय वृद्ध है। अभियुक्त दिनांक 12–09–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने

की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

6. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि 12–09–2022 को अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर कच्ची शराब में यूरिया अपमिश्रित कर कच्ची शराब की कसीदगी करते हुये पकड़ा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से कच्ची शराब व शराब निकालने के उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्त 84 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 12–09–2022 से जेल में निरूद्ध है। पत्रावली पर कोई एफ0एस0एल0 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इस मामले में सह–अभियुक्त रजवंत सिंह की जमानत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है, तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **बलवंत सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को इस मामले में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर अंकन 50,000/–रूपये के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ा जाये।

(अनिरूद्ध भट्ट)
प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हरिद्वार।